आवेदक / राज्य द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

अनावेदक / जमानतदार गणेशराम की सीमा तक प्रकरण पूर्व से निराकृत।

अनावेदक / जमानतदार कल्याण सिंह स्वयं उपस्थित सिंहत श्री केंं0कें0 शुक्ला अधिवक्ता उपस्थित ने मेमो पेश किया।

यह विविध प्रकरण मात्र अनावेदक / जमानतदार कल्याण सिंह की सीमा तक प्रतिभूमि पत्र की राशि राजसात किये जाने की कार्यवाही हेतु शेष है।

अभिलेखागार भिण्ड से सत्र प्र०क० 110/10 शासन पुलिस थाना मौ विरूद्ध बनवारी व स्रेंद्र सिंह का मूल अभिलेख प्राप्त।

अनावेदक / जमानतदार कलयाण सिंह की ओर से नोटिस अंतर्गत धारा 446 दं0प्र0सं0 का इस आशय का जवाब पेश किया गया कि प्रकरण में उसके द्वारा अभियुक्त की जमानत तश्दीक कराने के बाद अगली ही पेशी पर दी गई जमानत को न्यायालय से विधिवत निरस्त करा लिये जाने के पश्चात अभियुक्त के अनुपस्थित हो जाने के कारण वह प्रतिभूति पत्र की राशि जमा कराने के लिये बाध्य नहीं है। तदनुसार उसकी सीमा तक प्रकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपस्थित ए.जी.पी. द्वारा भी सत्र प्र०क० 110/10 शासन पुलिस थाना मौ विरूद्ध बनवारी व सुरेंद्र सिंह के अवलोकन उपरांत उक्त निवेदन की पुष्टि की गई है।

उभयपक्ष को सुना गया।

उभयपक्ष के निवेदन पर विचार करते हुये इस विविध प्रकरण सिंहत सत्र प्र0क0 110/10 शासन पुलिस थाना मौ विरुद्ध बनवारी व सुरेंद्र सिंह का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता है कि यह विविध प्रकरण अनावेदक/जमानतदार कल्याण सिंह के विरुद्ध अभियुक्त बनवारी के संबंध में प्रतिभूति पत्र की राशि राजसात किये जाने की कार्यवाही हेतु सत्र प्र0क0 110/10 में पारित आदेश दिनांक 25.02.14 के पालन में खोली गई है।

उक्त सत्र प्र0क0 110/10 के संपूर्ण अभिलेख का गहनता से परिशीलन किये जाने पर पाया जाता है कि अनावेदक/जमानतदार कल्याण सिंह द्वारा अभियुक्त बनवारी के वास्ते कोई जमानत उक्त सत्र प्रकरण में पेश नहीं की गई है और उसके द्वारा मात्र अभियुक्त स्रेंद्र सिंह की दिनांक 27.07.04 को 40 हजार रूपये की जमानत भर दी गई है, जिसकी पुष्टि इस विविध प्रकरण के साथ संलग्न प्रतिभूति पत्र से भी होती है, लेकिन उक्त सत्र प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक / जमानतदार कल्याण सिंह द्वारा दी गई अभियुक्त स्रेंद्र सिंह के वास्ते जमानत को अगली ही पेशी पर न्यायालय से विधिवत निरस्त करा लिया गया है।

अतः अनावेदक / जमानतदार कल्याण सिंह की ओर से प्रस्तुत उक्त जवाब पूर्णतः उचित होना पाये जाने से उसके विरूद्ध प्रतिभूति पत्र की राशि राजसात किये जाने की कार्यवाही हेतु संचालित यह विविध ्र संच प्रकरण दाखिल रिकॉ (सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड प्रकरण को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हों।